क्रम-संख्या–252

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 ई0
(अग्रहायण 26, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 19471/दस-लाइसेंस.-554/ब्रिवरी नियमावली/2021

प्रयागराज, दिनांक : 17 दिसम्बर, 2021 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि–95

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से समय-समय पर यथा संशोधित आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 6352/दो-931, दिनांक 5 जून, 1961 के अधीन यथा प्रकाशित यवासवनी चलाने के लिए लाइसेंसों से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश यवासवनी (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2021

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश यवासवनी (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2–**नियम-9 का संशोधन**–उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 1961, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9–**लाइसेंस का नवीकरण**–आगामी आबकारी वर्ष के लिये लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन पत्र कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रपत्र बी–2 में प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। यदि प्लांट या भवन में परिवर्तन किया गया हो तो नया प्लान प्रस्तुत किया जायेगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र प्रभारी अधिकारी से प्राप्त कर लाइसेंस के नवीकरण के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।	9–**लाइसेंस का नवीकरण**–आगामी तीन आबकारी वर्ष तक के लिये लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन पत्र कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रपत्र बी-2 में वर्ष की 28 फरवरी या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। यदि प्लांट या भवन में परिवर्तन किया गया हो तो नया प्लान प्रस्तुत किया जायेगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र प्रभारी अधिकारी से प्राप्त कर लाइसेंस के नवीकरण के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

3–**नियम–63 का संशोधन**– उक्त नियमावली में, नियम–63 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
63–लघु यवासवनी अनुज्ञापन के स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया–(1) कोई व्यक्ति जो होटल/रिसार्ट/रेस्टोरेन्ट/वाणिज्यिक क्लब हेतु बार लाइसेंस धारण करता हो और लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हो, उस जिले के जिलाधिकारी जहॉ लघु यवासवनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आवेदन करेगा। लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र, प्रपत्र एम0बी0–2 में किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–	**63–लघु यवासवनी लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया**–(1) कोई व्यक्ति जो होटल/रिसार्ट/रेस्टोरेन्ट /वाणिज्यिक क्लब हेतु बार लाइसेंस धारण करता हो और लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हो, उस जिले के कलेक्टर जहॉ लघु यवासवनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, के माध्यम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आवेदन करेगा। लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र, प्रपत्र एम0बी0–2 में किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–
(एक) किसी वर्ष अथवा उस वर्ष के आंशिक भाग जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत हो, के लिये अग्रिम में जमा किया गया रुपये 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का ट्रेजरी चालान।	(एक) किसी वर्ष अथवा उस वर्ष के आंशिक भाग जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत हो, के लिये अग्रिम में जमा किया गया रुपये 50,000.00 का ट्रेजरी चालान।
(दो) अक्षांश एवं देशान्तर सहित परिसर का पूर्ण विवरण	(दो) अक्षांश एवं देशान्तर सहित परिसर का पूर्ण विवरण
(तीन) प्लान्ट की प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता।	(तीन) प्लान्ट की प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता।
(चार) प्रस्तावित लघु यवासवनी के निर्माण हेतु विवरण एवं मानचित्र	(चार) प्रस्तावित लघु यवासवनी के निर्माण हेतु विवरण एवं मानचित्र।
(पांच) लघु यवासवनी की स्थापना हेतु उपकरणों का विवरण	(पांच) लघु यवासवनी की स्थापना हेतु उपकरणों की सूची।
(छः) विधिमान्य बार लाइसेंस की प्रति	(छः) विधिमान्य बार लाइसेंस की प्रति।
(सात) प्रपत्र एम0बी0–3 में घोषणा पत्र।	(सात) प्रपत्र एम0बी0–3 में घोषणा पत्र।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(आठ) आवेदक को बाध्यकारी करते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अपेक्षित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र एम0बी0-4 में ऐसा वचनबंध कि वह समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मानकों के अनुसार उपकरण परिनिर्मित करेगा।	(आठ) आवेदक को बाध्यकारी करते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार अपेक्षित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र एम0बी0-4 में ऐसा वचनबंध कि वह उत्पाद की विशिष्टयॉ और गुण को अनुरक्षित करने के लिए समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित मानकों के अनुसार उपकरण परिनिर्मित करेगा।
(2) प्रत्येक आवेदन पत्र की, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जायेगी। तत्प चात् जिलाधिकारी अपनी संस्तुति, आबकारी आयुक्त को लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु अग्रसारित करेगा।	(2) प्रत्येक आवेदन पत्र की, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जायेगी। तत्पश्चात, जिले का कलेक्टर अपनी संस्तुति, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु अग्रेषित करेगा।
(3) ऐसी जांच जैसा कि वह उचित समझे, कराये जाने पर और आवदेक की नियमितता तथा कार्यक्षमता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् आयुक्त, आयुक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रपत्र एम0बी0–5 में लघु यवासवनी स्थापना हेतु लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।	(3) ऐसी जांच जैसा कि वह उचित समझे, कराये जाने पर और आवदेक की नियमितता तथा कार्यक्षमता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रपत्र एम0बी0–5 में लघु यवासवनी स्थापना हेतु लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।
(4) लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक एक वर्श के अन्तर्गत उपकरण परिनिर्मित करेगा, जिसमें विफल रहने पर उप नियम (1) के अन्तर्गत संदत्त फीस समपहृत हो जायेगी। यदि लाइसेंसधारक, विशिष्टताओं तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार यवासवनी चलाये जाने में विफल रहता है तो स्वीकृत लाइसेंस किसी नुकसान या क्षति के प्रतिकर के बिना निरस्त किये जाने याग्य होगा। लाइसेंसधारक छः माह तक लाइसेंस के विस्तार हेतु रुपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त फीस का भुगतान करके आवेदन कर सकता है।	(4) लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात्, आवेदक एक वर्श के भीतर उपकरण परिनिर्मित करेगा, जिसमें विफल रहने पर उप नियम(1) के अधीन संदत्त फीस समपहृत हो जायेगी, यदि लाइसेंसधारक, विशिष्टताओं तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार यवासवनी चलाये जाने में विफल रहता है तो, स्वीकृत लाइसेंस किसी नुकसान या क्षति के प्रतिकर के बिना निरस्त किये जाने योग्य होगा। लाइसेंसधारक छः माह तक लाइसेंस के विस्तार हेतु रुपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त फीस का भुगतान करके आवेदन कर सकता है।
(5) लघु यवासवनी की स्वीकृति हेतु लाइसेंस फीस दो लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी।	(5) लघु यवासवनी की स्वीकृति हेतु लाइसेंस फीस दो लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी।
(6) जैसे ही उपकरणों की स्थापना हो जायेगी, लाइसेंसधारक लघुयवासवनी के सम्बन्ध में प्रपत्र एम0बी-6 में आवेदन, प्रपत्र एम0बी0-5 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर आबकारी आयुक्त को जमा करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जायेंगे–	(6) जैसे ही उपकरणों की स्थापना हो जायेगी, लाइसेंसधारक लघुयवासवनी के सम्बन्ध में प्रपत्र एम0बी-6 में आवेदन, प्रपत्र एम0बी0-5 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर आबकारी आयुक्त को जमा करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जायेंगे–
(एक) लाइसेंस स्वीकृति किये जाने हेतु लाइसेंस फीस हेतु अपेक्षित धनराशि का चालान;	(एक) लाइसेंस स्वीकृति किये जाने हेतु लाइसेंस फीस हेतु अपेक्षित धनराशि का चालान;

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) अपेक्षित धनराशि की प्रतिभूति जमा की नियत जमा रसीद;	(दो) अपेक्षित धनराशि की प्रतिभूति जमा की नियत जमा रसीद;
(तीन) स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण;	(तीन) स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से लाइसेंस रजिस्ट्रीकरण;
(चार) करार का प्रतिलेख;	(चार) करार का प्रतिलेख;
(7) जहॉ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि लाइसेंसधारक ने शर्तो का पूरा कर लिया है और विशिष्टता तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार बीयर का उत्पादन करने हेतु तैयार है, तो वह लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस, प्रपत्र एम0बी0-1 में स्वीकृत कर सकता है।	(7) जहॉ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि लाइसेंसधारक ने शर्तो को पूरा कर लिया है और विशिष्टता तथा गुणवत्तायुक्त मानकों के अनुसार बीयर का उत्पादन करने हेतु तैयार है, तो वह लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस, प्रपत्र एम0बी0-1 में स्वीकृत कर सकता है।
(8) प्रपत्र एम0बी0-1 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और पूर्वोक्त योजना एवं प्रविष्टियों से उसका मिलान कर तदनुसार सत्यापित करेगा।	(8) प्रपत्र एम0बी0-1 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत आबकारी अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और पूर्वोक्त योजना एवं प्रविष्टियों से उसका मिलान कर तदनुसार प्रमाणित करेगा।
(9) किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति, बीयर उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी पदार्थ, बर्तन, साधन एवं उपकरण जो भी हो, का बिना किसी प्राधिकार के और आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र एम0बी0-1 में स्वीकृत लाइसें की निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन उपयोग नहीं करेगा अथवा अपने पास नहीं रखेगा।	(9) किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति, बीयर उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी पदार्थ, बर्तन, साधन एवं उपकरण जो भी हो, का बिना किसी प्राधिकार के और आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र एम0बी0-1 में स्वीकृत लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन उपयोग नहीं करेगा अथवा अपने पास नहीं रखेगा।
(10) निम्नलिखित आबकारी वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिये आवेदन 2.0 लाख रुपये (दो लाख रुपये) की ट्रेजरी चालान के साथ प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या इससे पूर्व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रपत्र एम0बी0-7 में किया जायेगा। यदि प्लांट या भवन में परिवर्द्धन हुआ हो तो नया मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई परिवर्द्धन न किया गया हो तो प्रभारी अधिकारी की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र, लाइसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।	(10) आगामी तीन आबकारी वर्षों तक के लिये नवीकरण हेतु आवेदन 2.0 लाख रुपये की ट्रेजरी चालान के साथ प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व कलेक्टर को प्रपत्र एम0बी0-7 में किया जायेगा। यदि प्लांट या भवन में परिवर्तन हुआ हो तो नया मानचित्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई परिवर्तन न किया गया हो तो प्रभारी अधिकारी की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र, लाइसेंस नवीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4–**नियम–67 का संशोधन**– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-67 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
67–लघु यवासवनी लाइसेंस की अवधि एवं व्यापार प्रारम्भ किया जाना–प्रत्येक लघु यवासवनी का अनुज्ञापन 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले और आगामी वर्श के 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए यथाविहित लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने के अध्यधीन विधिमान्य होगा। परन्तु 1 अप्रैल या उसके पश्चात् जारी किया गया लाइसेंस उत्तरवर्षी वर्ष के 31 मार्च तक विधिमान्य रहेगा।	**67–लघु यवासवनी लाइसेंस की अवधि एवं कारबार प्रारम्भ किया जाना**–प्रत्येक लघु यवासवनी का लाइसेंस तीन वर्ष तक के लिये, जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष, जैसा कि उल्लिखित हो, तक के लिए यथाविहित लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने के अध्यधीन विधिमान्य होगा। परन्तु यह कि 1 अप्रैल या उसके पश्चात जारी किया गया लाइसेंस भी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष जैसा कि उल्लिखित हो, तक विधिमान्य रहेगा।

5–**नियम–71 का संशोधन**–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-71 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
71–लघु यवासवनी के लाइसेंस की शर्तें–(1) लाइसेंस धारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तद्धीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों द्वारा आबद्ध होगा। (2) लाइसेंसधारी ड्राट बीयर के उत्पादन, संचयन एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करेगा। (3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर उत्पादन की प्रक्रिया तथा उत्पादित किये जाने वाली तथा परोसे जाने वाली बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों से आबद्ध होगा। (4) लाइसेंसधारी लघु यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिये एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा। (5) ग्राहकों को प्रस्तुत तथा उपलब्ध करायी जाने वाली बीयर में अल्कोहल की मात्रा 8% वी0/वी0 से अधिक नहीं होगी। (6) मैच्योरेशन स्तर तक ब्रू का पी0एच0, तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र एम0बी0-8 में अभिलिखित किये जाने चाहिये और वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मॉग किये जाने पर निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।	**71–लघु यवासवनी के लाइसेंस की शर्तें**–(1) लाइसेंस धारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तद्धीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों द्वारा आबद्ध होगा। (2) लाइसेंसधारी ड्राट बीयर के उत्पादन, संचयन एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करेगा। (3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर उत्पादन की प्रक्रिया तथा उत्पादित किये जाने वाली तथा परोसे जाने वाली बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों से आबद्ध होगा। (4) लाइसेंसधारी लघु यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिये एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा। (5) ग्राहकों को प्रस्तुत तथा उपलब्ध करायी जाने वाली बीयर में अल्कोहल की मात्रा 8% वी0/वी0 से अधिक नहीं होगी। (6) मैच्योरेशन स्तर तक ब्रू का पी0एच0, तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र एम0बी0-8 में अभिलिखित किये जाने चाहिये और वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मॉग किये जाने पर निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(7) परिसर को समुचित वातायन एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ-सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।	(7) परिसर को समुचित वातायन एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ-सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।
(8) संचय टैंकों एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में उल्लिखित किया जायेगा।	(8) संचय टैंकों एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में अनुरक्षित किया जायेगा।
(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।	(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।
(10) लाइसेंस फीस एवं यथा विनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप से किया जायेगा।	(10) लाइसेंस फीस एवं यथा विनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप से किया जायेगा।
(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।	(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।
(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबन्धित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।	(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबन्धित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।
(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध करायेगा।	(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़े की किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध करायेगा।
(14) इस नियमावली के किसी उपबन्ध अथवा तद्धीन जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।	(14) इस नियमावली के किसी उपबन्ध अथवा तद्धीन जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता, प्रतिदिन 600(छः सौ) ब0ली0 और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 2.10 लाख(दो लाख दस हजार) ब0ली0 प्रतवर्ष से अधिक नहीं होगी।	(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता, प्रतिदिन 600 (छः सौ) बल्क लीटर और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 2.10 लाख(दो लाख दस हजार) बल्क लीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न हीं परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास/पिचर में परोसा जायेगा।	(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न हीं परिसर से बाहर उसकी बिकृय किया जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास/पिचर में परोसा जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(17) संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब अपेक्षित होगा, निकाला जायेगा।	(17) संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब अपेक्षित होगा, निकाला जायेगा। परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा भू-गृहादि के बाहर ड्राट बीयर के उपभोग की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की सेल्फ लाइफ मात्र 72 घंटे होगी।	(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की सेल्फ लाइफ मात्र 72 घंटे होगी।
(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित करना पड़ेगा, जिससे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. ऐड्रस के माध्यम से सुगमता पूर्वक अनुश्रवण किया जा सके।	(19) लाइसेंसधारी, को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित करना होगा, जिससे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. ऐड्रस के माध्यम से सुगमता पूर्वक अनुश्रवण किया जा सके।
(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।	(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

6–**नियम-73 का संशोधन**–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-73 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
73–लघु यवासवनी में बीयर का भण्डारण करना–जैसे ही बीयर के एक बैच का उत्पादन किया जायेगा वैसे ही उसे संचय कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस प्रकार स्थानान्तरित बीयर की मात्रा का आंकलन, किण्वन टैंक एवं संचयन टैंक के मध्य लगे फ्लो मीटर से किया जायेगा, जिसे अग्रतर टैंक के साथ लगे केलीब्रेटेड गेज से विधिमान्यकृत किया जायेगा। उक्त फ्लो मीटर, आबकारी विभाग की ताले एवं कुंजी के अधीन होगा। इस प्रकार मापित एवं स्थानान्तरित की गयी बीयर की मात्रा, प्रपत्र एम0बी0 8 क में अभिलिखित की जायेगी । आबकारी शुल्क प्रपत्र एम0बी0 8 क में इस प्रकार अभिलिखित मात्रा के आधार पर प्रभारित किया जायेगा। संचयन टैंकों में तैयार उत्पादों को स्थल पर उपभोग हेतु जब अपेक्षित हो स्थानान्तरित किया जायेगा।	**73–लघु यवासवनी में बीयर का भण्डारण करना**–जैसे ही बीयर के एक बैच का उत्पादन किया जायेगा, वैसे ही उसे संचय कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस प्रकार स्थानान्तरित बीयर की मात्रा का आंकलन, किण्वन/ब्राइट बीयर टैंक एवं संचयन/सर्विस टैंक के मध्य लगे फ्लो मीटर से किया जायेगा, जिसे अग्रतर टैंक के साथ लगे केलीब्रेटेड गेज से विधिमान्य किया जायेगा। उक्त फ्लो मीटर, आबकारी विभाग की ताले एवं कुंजी के अधीन होगा। इस प्रकार मापित एवं स्थानान्तरित की गयी बीयर की मात्रा, प्रपत्र एम0बी0 8 क में अभिलिखित की जायेगी। आबकारी शुल्क प्रपत्र एम0बी0 8 क में इस प्रकार अभिलिखित मात्रा के आधार पर प्रभारित किया जायेगा। संचयन टैंकों में तैयार उत्पादों को स्थल पर उपभोग हेतु जैसे और जब अपेक्षित हो स्थानान्तरित किया जायेगा।

7–**प्रपत्र एम0बी0-1 का संशोधन**–समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 1961 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एम0बी0-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र एम0बी0-1 रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र एम0बी0-1 **(नियम 63(7) देखे)** **लघु यवासवनी चलाये जाने हेतु लाइसेंस**	**प्रपत्र एम0बी0-1** **(नियम 63(7) देखे)** **लघु यवासवनी चलाये जाने हेतु लाइसेंस**
लाइसेंसधारी की फोटो	लाइसेंसधारी की फोटो
अक्षांश––––––––––––––––––देशान्तर––––––––––	अक्षांश––––––––––––––––देशान्तर––––––––––
परिसर की चौहद्दी– पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण.....	परिसर की चौहद्दी– पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण.....
लाइसेंस धारक (लाइसेंसधारियों) का/के नाम	लाइसेंस धारक (लाइसेंसधारकों) का/के नाम ....
यह लाइसेंस एतद्द्वारा.....निवासी (निवासीगण) .....को ड्राट बीयर के उत्पादन एवं परोसने हेतु परिसर .....में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 के उपबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु समय-समय पर बनाये गये ऐसे अन्य नियमों तथा बीयर के उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति एवं कीमतों को नियंत्रित किये जाने के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है। एतद्पूर्व संख्यांकित किसी नियम के व्यतिक्रमण में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन यथाविहित अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस का समपहरण किया जाना सम्मिलित होगा।	यह लाइसेंस एतद्द्वारा.....निवासी (निवासीगण) .....को ड्राट बीयर के उत्पादन एवं परोसने हेतु परिसर .....में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 के उपबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु समय-समय पर बनाये गये ऐसे अन्य नियमों तथा बीयर के उत्पादन, बिक्री, आपूर्ति एवं कीमतों को नियंत्रित किये जाने के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है। एतद्पूर्व संख्यांकित किसी नियम के व्यतिक्रमण में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन यथाविहित अन्य शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस का समपहरण किया जाना सम्मिलित होगा।
यह लाइसेंस आबकारी वर्ष.....के लिए विधिमान्य होगा।	यह लाइसेंस आबकारी वर्ष.....के लिए विधिमान्य होगा।
लघु यवासवनियां निम्नलिखित आबकारी वर्ष हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या इससे पूर्व अपने लाइसेंसों को नवीनीकरण हेतु आवेदन करेंगी।	लघु यवासवनियां आगामी तीन आबकारी वर्ष हेतु कलेक्टर को वर्ष के 28 फरवरी को या इससे पूर्व अपने लाइसेंसों के नवीकरण हेतु आवेदन करेंगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
शर्तें	**शर्तें**
(1) लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तदधीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।	(1) लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तदधीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
(2) लाइसेंसधारी उत्पादन, संचय एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगा।	(2) लाइसेंसधारी उत्पादन, संचय एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगा।
(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर के उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पादित किये जाने एवं परोसने हेतु बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। ।	(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर के उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पादित किये जाने एवं परोसने हेतु बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
(4) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये उपलब्ध करायेगा । ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा।	(4) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेक्रोमीटर एवं थर्मामीटर यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा।
(5) ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली उत्पादित बीयर में अल्कोहल अर्न्तवस्तु 8% वी0/वी0 से अधिक नही होगी।	(5) ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली उत्पादित बीयर में अल्कोहल अर्न्तवस्तु 8% वी0/वी0 से अधिक नही होगी।
(6) परिपक्वता स्तर तक ब्रू का पी.एच., तापमान एवं विर्निदिष्ट घनत्व प्रपत्र एम.बी.-8 में अभिलिखित किया जाना चाहिए और वह निरीक्षण के अध्यधीन होगा, जैसा और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किया जायेगा, उसे उपलब्ध कराया जायेगा।	(6) परिपक्वता स्तर तक ब्रू का पी.एच., तापमान एवं विर्निदिष्ट घनत्व अभिलिखित किया जाना चाहिए और वह निरीक्षण के अध्यधीन होगा, जैसा और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किया जायेगा।
(7) परिसर को समुचित वातायन तथा प्रकाश व्यवस्था सहित साफ सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की उपर्युक्त सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।	(7) परिसर को समुचित वातायन तथा प्रकाश व्यवस्था सहित साफ सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की उपयुक्त सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय।
(8) संचय सुविधा एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में उल्लिखित किया जायेगा।	(8) संचय सुविधा एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में अनुरक्षित रखा जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।	(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।
(10) लाइसेंस फीस एवं यथाविनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप में किया जायेगा।	(10) लाइसेंस फीस एवं यथाविनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप में किया जायेगा।
(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।	(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।
(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबंधित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।	(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबंधित लेन-देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।
(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऑनलाइन या हस्तलाघवता पूर्वक उपलब्ध कराया जायेगा।	(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऑनलाइन या हस्तकृत रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
(14) नियमावली या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को एक पखवाड़े की सूचना देने के पश्चात् लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है। लाइसेंसधारी इस प्रकार के निलम्बन या रद्दकरण पर किसी भी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।	(14) नियमावली या लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर, आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को एक पखवाड़े की सूचना देने के पश्चात् लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है। लाइसेंसधारी इस प्रकार के निलम्बन या रद्दकरण पर किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन ..... ब0ली0 और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर .....ब0ली0 से अधिक नही होगी।	(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन ..... बल्क लीटर और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर.....बल्क लीटर से अधिक नही होगी।
(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न ही परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास/पिचर में परोसा जायेगा।	(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न ही परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास/पिचर में परोसा जायेगा।
(17) संचय टैंको से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब आवश्यकता होगी, निकाला जायेगा।	(17) संचय टैंको से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब आवश्यकता होगी, निकाला जायेगा।
(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की शेल्फ लाइफ 72 घन्टे होगी।	(18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की भोल्फ लाइफ 72 घन्टे होगी।
(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना पड़ेगा, जिसे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. एड्रेस के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सके।	(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना होगा, जिसे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. एड्रेस के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सके।

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।	(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।
प्रयागराज दिनांक .....20 आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	यागराज दिनांक .....20 आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

8–**प्रपत्र एम.बी–7 का संशोधन**–समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 1961 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एम.बी.-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र एम.बी.-7 रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
प्रपत्र एम.बी-7 **(नियम 63(10) देखे)** **लाइसेंस एम.बी.-1 के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र**	**प्रपत्र एम.बी-7** **(नियम 63(10) देखें)** **लाइसेंस एम.बी.-1 के नवीकरण हेतु आवेदन पत्र**
सेवा में, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, द्वारा कलेक्टर।	कलेक्टर जिला–––––
महोदय,	महोदय,
1–मैं/हम .....पुत्र श्री ..... निवासी .....जिला.....में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 के नियम 63 (10) के अधीन लघु यवासवनी को कार्य किये जाने हेतु स्थान/मुहल्ला.....जिला.....में स्वीकृत लाइसेंस को एतद्द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। लाइसेंस नवीकरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है–	1–मैं/हम .....पुत्र श्री ..... निवासी.....जिला.....में उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 2019 के नियम 63 (10) के अधीन लघु यवासवनी को कार्य किये जाने हेतु स्थान/मुहल्ला.....जिला.....में स्वीकृत लाइसेंस को एतद्द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं। लाइसेंस नवीकरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है–
2–बार लाइसेंस की सूचना	2–बार लाइसेंस की सूचना
3–परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	3–परिसर का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
4–लघु यवासवनी के स्थित होने के स्थान एवं नाम का विवरण	4–लघु यवासवनी के स्थित होने के स्थान एवं नाम का विवरण
5–क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जल उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।	5–क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जल उपभोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6–पात्रों एवं अन्य स्थापित उपकरणों का विवरण	6–पात्रों एवं अन्य स्थापित उपकरणों का विवरण
7–लघु यवासवनी की प्रति दिन/प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता ।	7–लघु यवासवनी की प्रति दिन/प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता ।

स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र
8–क्या आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में विहित लाइसेंस फीस जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान संलग्न किया गया है।	8–क्या आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में विहित लाइसेंस फीस जमा किये जाने का ट्रेजरी चालान संलग्न किया गया है।
9–प्रत्येक कक्ष, स्थान एवं पात्र का सम्पूर्ण विवरण	9–प्रत्येक कक्ष, स्थान एवं पात्र का सम्पूर्ण विवरण
10–मूल ले आउट एवं मानचित्र	10–मूल ले आउट योजना एवं मानचित्र
11–क्या आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कोई परिवर्तन/परिवर्धन/उपांतरण किया गया है, यदि हां तो आदेश की संख्या एवं दिनांक	11–क्या आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कोई परिवर्तन/परिवर्धन/उपांतरण किया गया है, यदि हां तो आदेश की संख्या एवं दिनांक
स्थान आवेदक का नाम	स्थान आवेदक का नाम
दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर	दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

आज्ञा से,
सेंथिल पांडियन सी0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No.19471/X-License-554/Brewery Establishment Rules/2021

Prayagraj, dated: December 17, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section-41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act. no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending Rules regarding licences for working breweries, as published under Excise Commissioner's Notification no. 6352/II-931, dated June 05, 1961, as amended form time to time:

THE UTTAR PRADESH BREWERY (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Brewery (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on April 2021.

2. Amendment of Rule 9–In the Uttar Pradesh Brewery Rules, 1961 hereinafter referred to as said rules, for the existing rule-9 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
9. Renewal of Licence-Application for renewal of licence for the following Excise year shall be made to the Excise Commissioner through Collector on or before February 28 each year in Form B-2. If there has been alteration in either plant or building, fresh plans must be submitted. If there has been no alteration, a certificate tothis effect from the officer-in-charge should be attached with the application for renewal of the licence.	**9. Renewal of Licence-**Application for renewal of licence for upto following three Excise years shall be made to the Excise Commissioner through Collector on or before February 28 of the year in Form B-2. If there has been alteration in either plant or building, fresh plans must be submitted. If there has been no alteration, a certificate to this effect from the officer-in-charge should be attached with the application for renewal of the licence.

3. Amendment of rule-63–In the said rules, in rule-63 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
63-**Procedure for grant of licence for microbrewery–**(1) Any person who possesses bar licnence of hotel/resort/restaurant/ commercial club bar and is desirous of obtaining a licence for microbrewery shall apply to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh through the Collector of the district in which the microbrewery is proposed to be established. The application for grant of licence shall be made in Form MB-2. The application shall be accompanied by the following documents	63-**Procedure for grant of licence for microbrewery–**(1) Any person who possesses bar licnence of hotel/resort/restaurant/ commercial club bar and is desirous of obtaining a licence for microbrewery shall apply to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh through the Collector of the district in which the microbrewery is proposed to be established. The application for grant of licence shall be made in Form MB-2. The application shall be accompanied by the following documents
(i) A treasury challan of Rs.50,000/- for having credited the fee in advance for a year of part thereof for which licence is granted.	(i) A treasury challan of Rs.50,000/- for having credited the fee in advance for a year of part thereof for which licence is granted.
(ii) Full description of the premises with latitude & longitude.	(ii) Full description of the premises with latitude & longitude.
(iii) Installed capacity of the plant per day.	(iii) Installed capacity of the plant per day.
(iv) Description and drawings for the construction of proposed microbrewery.	(iv) Description and drawings for the construction of proposed microbrewery.
(v) List of equipments to be installed for Microbrewery.	(v) List of equipments to be installed for Microbrewery.
(vi) Copy of a valid Bar licence.	(vi) Copy of a valid Bar licence.
(vii) A declaration in Form MB-3.	(vii) A declaration in Form MB-3.
(viii) An undertaking in the prescribed Form MB-4 on a non-judicial stamp paper of the requisite value as per Indian stamp Act binding the applicant that he shall erect equipment as per standards as may be prescribed by the Commissioner from time to time for maintaining the specifications and quality of products.	(viii) An undertaking in the prescribed Form MB-4 on a non-judicial stamp paper of the requisite value as per Indian stamp Act binding the applicant that he shall erect equipment as per standards as may be prescribed by the Commissioner from time to time for maintaining the specifications and quality of products.
(2) The detail of each application shall be scrutinized by the Collector of the concerned district or the District Excise Officer duly authorized by him in this behalf. Thereafther, the Collector of the districts shall forward his recommendation to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh for approval of licence.	(2) The detail of each application shall be scrutinized by the Collector of the concerned district or the District Excise Officer duly authorized by him in this behalf. Thereafter, the Collector of the districts shall forward his recommendation to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh for approval of licence.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(3) The Commissioner after causing such enquiry as he may deem fit and after satisfying himself of the *bonafides* and capabilities of the applicant may grant licence by the approval of State Government in Form MB-5 for establishment of Microbrewery.	(3) The Commissioner after causing such enquiry as he may deem fit and after satisfying himself of the *bonafides* and capabilities of the applicant may grant licence by the approval of State Government in Form MB-5 for establishment of Microbrewery.
(4) After receipt of licence, the applicant shall erect the equipment within one year, failing which the fee paid under sub-rule(1) shall be forfeited. In case the licence holder fails to operate the Microbrewery according to specifications and quality standards, the licence granted shall be liable for cancellation without compensation for any damage or loss. The licence holder may apply for extension of licence for six months by paying an additional fee of Rs25,000/-(Twenty five thousand only).	(4) After receipt of licence, the applicant shall erect the equipment within one year, failing which the fee paid under sub-rule(1) shall be forfeited. In case the licence holder fails to operate the Microbrewery according to specifications and quality standards, the licence granted shall be liable for cancellation without compensation for any damage or loss. The licence holder may apply for extension of licence for six months by paying an additional fee of Rs25,000/-(Twenty five thousand only).
(5) The licence fee for the grant of microbrewery licence shall be Rupees Two lakhs per year.	(5) The licence fee for the grant of microbrewery licence shall be Rupees Two lakhs per year.
(6) As soon as the equipment is installed, the licence holder shall submit an application in Form MB-6 in respect of Micro Brewery, to the Excise Commissioner within one year from the date of grant of licence in Form MB-5. The following documents shall be submitted:	(6) As soon as the equipment is installed, the licence holder shall submit an application in Form MB-6 in respect of Micro Brewery, to the Excise Commissioner within one year from the date of grant of licence in Form MB-5. The following documents shall be submitted:
(i) challan of requisite amount towards the licence fee for grant of licence;	(i) challan of requisite amount towards the licence fee for grant of licence;
(ii) fixed deposit receipt of requisite amounts security deposit;	(ii) fixed deposit receipt of requisite amounts security deposit;
(iii) No Objection Certificate from Uttar Pradesh Pollution Control Board, local water utility and licence/registration from FSSAI;	(iii) No Objection Certificate from Uttar Pradesh Pollution Control Board, local water utility and licence/registration from FSSAI;
(iv) Counterpart agreement	(iv) Counterpart agreement
(7) Where the Commissioner is satisfied that the licence holder has fulfilled the conditions and is ready to make beer according to the specifications and quality standards, he may grant a licence in Form MB-1 to Microbrewery.	(7) Where the Commissioner is satisfied that the licence holder has fulfilled the conditions and is ready to make beer according to the specifications and quality standards, he may grant a licence in Form MB-1 to Microbrewery.

Column I	Column II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(8) Before the licence in Form MB-1 is granted an Excise Officer authorized by the Excise Commissioner, shall inspect the premises, etc. and compare the same with the plan and entry aforesaid and certify accordingly.	(8) Before the licence in Form MB-1 is granted an Excise Officer authorized by the Excise Commissioner, shall inspect the premises, etc. and compare the same with the plan and entry aforesaid and certify accordingly.
(9) No beer shall be manufactured and no person shall use, keep or have in his possession any material, utensil, implement and apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing beer exept under the authority and subject to terms and conditions of a licence granted in Form MB-1 by the Excise Commissioner.	(9) No beer shall be manufactured and no person shall use, keep or have in his possession any material, utensil, implement and apparatus whatsoever, for the purpose of manufacturing beer exept under the authority and subject to terms and conditions of a licence granted in Form MB-1 by the Excise Commissioner.
(10) Application for renewa l of licence for the following excise year shall be made to the Excise Commissioner through Collector with treasury challan of Rs. 2 lac on or before 31st January each year in Form MB-7. If there has been alteration in either plant or building, fresh plans must be submitted. If there has been no alteration, a certificate to this effect from the Officer-in-charge should be attached with the application for renewal of the licence.	(10) Application for renewal of licence for upto following three excise years shall be made to the Collector with treasury challan of Rs. 2 lac for each year on or before 28 th February of the year in Form MB-7. If there has been alteration in either plant or building, fresh plans must be submitted. If there has been no alteration, a certificate to this effect from the Officer-in-charge should be attached with the application for renewal of the licence.

4. Amendment of rule-67–In the said rules, for the existing rule-67 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column I	Column II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
67. Period of Microbrewery licence and commencement of business–(1) Every Microbrewery licence shall be valid for one year commencing from 1st April ending with 31st March of the succeeding year, subject to payment of licence fee as prescribed.	**67. Period of Microbrewery licence and commencement of business**–Every Microbrewery licence shall be valid for upto three years commencing from 1st April ending with 31st March of the year as mentioned, subject to payment of licence fee as prescribed.
Provided that the licence issued on or after the 1st April shall be valid up to the 31st March of the succeeding year.	Provided that the licence issued on or after the 1st April shall also be valid up to the 31st March of the year as mentioned.

5. Amendment of rule-71–In the said rules, for the existing rule-71 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column I	Column II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
71. Conditions of Microbrewery Licence-(1) The licensee shall be bound by the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 and notifications and orders issued thereunder.	**71. Conditions of Microbrewery Licence-**(1) The licensee shall be bound by the provisions of the U.P. Excise Act, 1910 and notifications and orders issued thereunder.

Column I	Column II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(2) The licensee shall observe such rules as may be prescribed by the State Government or such instructions and orders as may be issued by the Excise Commissioner from time to time in regard to the control of the manufacture, possession and serving of draught beer.	(2) The licensee shall observe such rules as may be prescribed by the State Government or such instructions and orders as may be issued by the Excise Commissioner from time to time in regard to the control of the manufacture, possession and serving of draught beer.
(3) The licensee shall be bound by such orders as may be passed by the State Government or the Excise Commissioner concerning the process of manufacture to be adopted and the standards and quality of beer to be produced and served.	(3) The licensee shall be bound by such orders as may be passed by the State Government or the Excise Commissioner concerning the process of manufacture to be adopted and the standards and quality of beer to be produced and served.
(4) The licensee shall provide a saccharometer and thermometer of a kind to be approved by the Excise Commissioner for testing the gravity of wort in the Micro Brewery. A hydrometer shall also be provided for testing the strength of the draught beer.	(4) The licensee shall provide a saccharometer and thermometer of a kind to be approved by the Excise Commissioner for testing the gravity of wort in the Micro Brewery. A hydrometer shall also be provided for testing the strength of the draught beer.
(5) The alcohol content of the beers produced supplied to the customers shall not exceed 8%V/V.	(5) The alcohol content of the beers produced supplied to the customers shall not exceed 8%V/V.
(6) The pH, temperature and specific gravity of the brews up to maturation stage should be recorded in MB-8 and the same is subject to inspection as and when called for by a competent authority.	(6) The pH, temperature and specific gravity of the brews up to maturation stage should be recorded in MB-8 and the same is subject to inspection as and when called for by a competent authority.
(7) The premises shall be maintained neat and clean with proper ventilation, lighting and it should meet all safety and emergency standards as well as the beer dispensing system including glasses, serving tables, etc. be maintained hygienically at all times.	(7) The premises shall be maintained neat and clean with proper ventilation, lighting and it should meet all safety and emergency standards as well as the beer dispensing system including glasses, serving tables, etc. be maintained hygienically at all times.
(8) Periodic fumigation of the storage tanks as well as the premises shall be done by authorized persons on a routine basis and records be maintained.	(8) Periodic fumigation of the storage tanks as well as the premises shall be done by authorized persons on a routine basis and records be maintained.
(9) Under no circumstances, beer or any alcoholic drinks shall be served to under aged persons.	(9) Under no circumstances, beer or any alcoholic drinks shall be served to under aged persons.
(10) The payments of the license fees and excise duty as specified shall be paid in advance.	(10) The payments of the license fees and excise duty as specified shall be paid in advance.
(11) The licensee is prohibited from manufacturing any of the beers, save the ones specially registered.	(11) The licensee is prohibited from manufacturing any of the beers, save the ones specially registered.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(12) The account of the transactions in the Microbrewery relating to issue shall be maintained in such manner as may be required by the Excise Commissioner.	(12) The account of the transactions in the Microbrewery relating to issue shall be maintained in such manner as may be required by the Excise Commissioner.
(13) The licensee shall furnish any statistics relating to manufacutre and the sale of beer that may be required when called upon to do so by any competent authority.	(13) The licensee shall furnish any statistics relating to manufacutre and the sale of beer that may be required when called upon to do so by any competent authority.
(14) Contravention of any provison of these rules or instructions issued thereunder and for every breach of License conditions, the Excise Commissioner shall take appropriate action against the licensee unit in accordance with the relevant provisions of the Act.	(14) Contravention of any provison of these rules or instructions issued thereunder and for every breach of License conditions, the Excise Commissioner shall take appropriate action against the licensee unit in accordance with the relevant provisions of the Act.
(15) Installed capacity of microbrewery shall not exceed 600(Six thousand) bulk liters per day and 2.1 lac(Two Lacs Ten thousand) liters per annum on the basis of 350 working days in a year.	(15) Installed capacity of microbrewery shall not exceed 600(Six thousand) bulk liters per day and 2.1 lac(Two Lacs Ten thousand) liters per annum on the basis of 350 working days in a year.
(16) The draught beer so produced shall not be bottled/sold outside the premises. The draught beer shall be served in glasses or pitchers.	(16) The draught beer so produced shall not be bottled/sold outside the premises. The draught beer shall be served in glasses or pitchers.
(17) The finished product in the storage tanks shall be removed for "on site" consumption as and when required.	(17) The finished product in the storage tanks shall be removed for "on site" consumption as and when required. Provided that in special circumstances the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government, may allow the sale of draught beer for consumption " off the premises".
(18) The shelf life of the beer manufactured in microbrewery shall be 72 hrs. only.	(18) The shelf life of the beer manufactured in microbrewery shall be 72 hrs. only.
(19) The licensee shall install CCTV camera in the room for microbrewery plant which would be easily monitored from Excise Headquarters through I.P. address.	(19) The licensee shall install CCTV camera in the room for microbrewery plant which would be easily monitored from Excise Headquarters through I.P. address.
(20) The licensee shall make necessary arrangement for online submission of relevant information and accounts in the specified website of the Excise Department.	(20) The licensee shall make necessary arrangement for online submission of relevant information and accounts in the specified website of the Excise Department.

6. Amendment of rule-73–In the said rules, for the existing rule-73 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
73. Stock keeping of Beer at Microbrewery– As soon as a batch of beer is manufactured, it shall be removed to the storage room and the quantity of beer thus transferred shall be measured by a flow meter installed between the fermentation tanks and the storage tanks and shall be further validated by calibrated gauges attached to the tanks. The said flow meter shall be under excise lock and key. The quantity of beer thus transferred and measured shall be recorded in form MB-8A. The excise duty shall be charged on the quantity thus recorded in form MB-8A. The finished products in the storage tanks shall be removed for "on-site" consumption as and when required.	**73. Stock keeping of Beer at Microbrewery–** As soon as a batch of beer is manufactured, it shall be removed to the storage room and the quantity of beer thus transferred shall be measured by a flow meter installed between the fermentation/Bright Beer tanks and the storage/service tanks and shall be further validated by calibrated gauges attached to the tanks. The said flow meter shall be under excise lock and key. The quantity of beer thus transferred and measured shall be recorded in form MB-8A. The excise duty shall be charged on the quantity thus recorded in form MB-8A. The finished products in the storage tanks shall be removed for "on-site" consumption as and when required.

7. Amendment of Form MB-1–In the Uttar Pradesh Brewery Rules, 1961 as amended time to time hereinafter referred to as said rules, for the existing Form MB-1 set out in Column-1 below the Form MB-1 as set out in Column -2 shall be substituted, namely:

Column I *Existing Form*	**Column II** *Form as hereby substituted*
Form MB-1 {See Rule 63 (7)} **Licence to work a Microbrewery**	**Form MB-1** {See Rule 63 (7)} **Licence to work a Microbrewery**
Photo of Licensce	Photo of Licensce
Latitude----------	Latitude----------
Longitude----------	Longitude----------
Premises boundary----------	Premises boundary----------
East----------	East----------
West----------	West----------
North----------	North----------
South----------	South----------
Name of licence holder (s).....	Name of licence holder (s).....

Column I *Existing Form*	**Column II** *Form as hereby substituted*
Licence is hereby granted to .....resident (s) of.....to manufacture and serve draught beer on the premises at .....subject to the following conditions and provisions of Uttar Pradesh Brewery Rules, 2019 as well as to such other rules as may from time to time be made by the Excise Commissioner for the security of Excise revenue and for regulating the manufacture, sale, supply and prices of beer. The infraction of any of the rules herein before enumerated shall involve forfeiture of the licence in addition to such other penalties as may be prescribed under the United Provinces Excise Act, 1910.	Licence is hereby granted to .....resident (s) of .....to manufacture and serve draught beer on the premises at .....subject to the following conditions and provisions of Uttar Pradesh Brewery Rules, 2019 as well as to such other rules as may from time to time be made by the Excise Commissioner for the security of Excise revenue and for regulating the manufacture, sale, supply and prices of beer. The infraction of any of the rules herein before enumerated shall involve forfeiture of the licence in addition to such other penalties as may be prescribed under the United Provinces Excise Act, 1910.
This licence shall be valid for the Excise year	This licence shall be valid for the Excise year .....
The microbrewers shall apply to the Excise Commissioner through the Collector on or before 31st January of each year for renewal of their licenses for the following Excise year.	The microbrewers shall apply to the Collector on or before 28th February of the year for renewal of their licenses for upto following three Excise years.
Conditions	**Conditions**
(1) The licensee shall be bound by the provisions of the United Provinces Excise Act 1910, notifications, and orders issued thereunder.	(1) The licensee shall be bound by the provisions of the United Provinces Excise Act 1910, notifications, and orders issued thereunder.
(2) The licensee shall observe such rules as may be prescribed by the State Government or such instructions and orders as may be issued by the Excise Commissioner from time to time in regard to the control of the manufacture, possession and serving.	(2) The licensee shall observe such rules as may be prescribed by the State Government or such instructions and orders as may be issued by the Excise Commissioner from time to time in regard to the control of the manufacture, possession and serving.
(3) The licensee shall be bound by such orders as may be passed by the State Government or the Excise Commissioner concerning the process of manufacture to be adopted and the standards and quality of beer to be produced and served.	(3) The licensee shall be bound by such orders as may be passed by the State Government or the Excise Commissioner concerning the process of manufacture to be adopted and the standards and quality of beer to be produced and served.
(4) The licensee shall provide a saccharometer and a thermometer of a kind to be approved by the Excise Commissioner for testing the gravity of wort in the Brewery. A hydrometer shall also be provided for testing the strength of the draught beer.	(4) The licensee shall provide a saccharometer and a thermometer of a kind to be approved by the Excise Commissioner for testing the gravity of wort in the Brewery. A hydrometer shall also be provided for testing the strength of the draught beer.

Conditions	Conditions
(5) The alcohol content of the beers produced supplied to the customers shall not exceed 8% V/V.	(5) The alcohol content of the beers produced supplied to the customers shall not exceed 8% V/V.
(6) The pH, temperature and specific gravity of the brews up to maturation stage should be recorded and the same is subject to inspection as and when called for by a competent authority.	(6) The pH, temperature and specific gravity of the brews up to maturation stage should be recorded and the same is subject to inspection as and when called for by a competent authority.
(7) The premises shall be maintained neat and clean with proper ventilation, lighting and it should meet all fine safety and emergency standards as well as the beer dispensing system including glasses, serving tables etc be maintained hygienically at all times.	(7) The premises shall be maintained neat and clean with proper ventilation, lighting and it should meet all fine safety and emergency standards as well as the beer dispensing system including glasses, serving tables etc be maintained hygienically at all times.
(8) Periodic fumigation of the storage facility as well as the premises shall be done by authorized persons on a routine basis and records be maintained.	(8) Periodic fumigation of the storage facility as well as the premises shall be done by authorized persons on a routine basis and records be maintained.
(9) Under no circumstances, beer or any alcoholic drinks shall be served to under aged persons.	(9) Under no circumstances, beer or any alcoholic drinks shall be served to under aged persons.
(10) The payments of the license fees and excise duty as specified shall be paid in advance.	(10) The payments of the license fees and excise duty as specified shall be paid in advance.
(11) The licensee is prohibited from manufacturing any of the beers, save the ones specially registered.	(11) The licensee is prohibited from manufacturing any of the beers, save the ones specially registered.
(12) The account of the transactions in the Microbrewery relating to issue shall be maintained in such manner as may be required by the Excise Commissioner.	(12) The account of the transactions in the Microbrewery relating to issue shall be maintained in such manner as may be required by the Excise Commissioner.
(13) The licensee shall furnish any statistics relating to manufacture and the sale of beer, online or manually, that may be required by any competent authority.	(13) The licensee shall furnish any statistics relating to manufacture and the sale of beer, online or manually, that may be required by any competent authority.
(14) For any breach of the rules or the conditions of the license, the Excise Commissioner may after giving a fortnight's notice to the licensee suspend or cancel the license. The licensee shall not be entitled to any compensation on account of such suspension or cancellation.	(14) For any breach of the rules or the conditions of the license, the Excise Commissioner may after giving a fortnight's notice to the licensee suspend or cancel the license. The licensee shall not be entitled to any compensation on account of such suspension or cancellation.
(15) Installed capacity of microbrewery shall not exceed -------bulk liters per day and ----- lac liters per annum on the basis of 350 working days in a year.	(15) Installed capacity of microbrewery shall not exceed -------bulk liters per day and ----- lac liters per annum on the basis of 350 working days in a year.

Conditions	Conditions
(16) The draught beer so produced shall not be bottled/sold outside the premises. The draught beer shall be served in glasses or pitchers.	(16) The draught beer so produced shall not be bottled/sold outside the premises. The draught beer shall be served in glasses or pitchers.
(17) The finished product in the storage tanks shall be removed for "'on site" consumption as and when required.	(17) The finished product in the storage tanks shall be removed for "'on site" consumption as and when required.
(18) The shelf life of the beer manufactured in microbrewery shall be 72 hrs only.	(18) The shelf life of the beer manufactured in microbrewery shall be 72 hrs only.
(19) The licensee shall install CCTV camera in the room for microbrewery plant which would be easily monitored from Excise Headquarters through I.P. address.	(19) The licensee shall install CCTV camera in the room for microbrewery plant which would be easily monitored from Excise Headquarters through I.P. address.
(20) The licensee shall make necessary arrangement for online submission of relevant information and accounts in the specified website of the Excise Department.	(20) The licensee shall make necessary arrangement for online submission of relevant information and accounts in the specified website of the Excise Department.
Allahabad Dated.....20	Allahabad Dated.....20
Excise Commissioner Uttar Pradesh.	Excise Commissioner Uttar Pradesh .

8. Amendment of Form MB-7–In the Uttar Pradesh Brewery Rules, 1961 as amended time to time hereinafter referred to as said rules, for the existing Form MB-7 set out in Column-1 below the Form MB-7 as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

Column-1 Existing Form	Column-2 Form as hereby substituted
FORM MB-7	**FORM MB-7**
[See rule 63(10)]	[See rule 63(10)]
Application for renewal of licence MB-1	**Application for renewal of licence MB-1**
The Excise Commissioner Uttar Pradesh ,Allahabad . Through the Collector	The Collector District--------
Sir,	Sir,
I/W.....S/O.....residing at..... District.....hereby apply for renewal of licence to work a microbrewery under rule 63(10) of the Uttar Pradesh Brewery Rules 2019 at locality/place .....in the district of .....Uttar Pradesh. Required information with regard to sanction of renewal of licence is furnished as below.	I/We.....S/O..... residing at.....District.....hereby apply for renewal of licence to work a microbrewery under rule 63(10) of the Uttar Pradesh Brewery Rules 2019 at locality/place ..... in the district of .....Uttar Pradesh. Required information with regard to sanction of renewal of licence is furnished as below.

Column-1 Existing Form	Column-2 Form as hereby substituted
2. Details of Bar licences.	2. Details of Bar licences.
3. Total area of the premises in Sq.meters.	3. Total area of the premises in Sq.meters.
4. The name and description of the place in which the Microbrewery is situated.	4. The name and description of the place in which the Microbrewery is situated.
5. Whether no objection certificate is obtained from Pollution Control Board and water utility.	5. Whether no objection certificate is obtained from Pollution Control Board and water utility.
6. Descriptions of vessels and other permanent apparatus.	6. Descriptions of vessels and other permanent apparatus.
7. Production capacity of the Microbrewery per day/per annum.	7. Production capacity of the Microbrewery per day/per annum.
8. Whether Applicant has enclosed the treasury challan for having credited the prescribed licence fees in favour of the Government.	8. Whether Applicant has enclosed the treasury challan for having credited the prescribed licence fees in favour of the Government.
9. Full particulars of each room, place or vessel.....	9. Full particulars of each room, place or vessel.....
10. Original layout plan and map.	10. Original layout plan and map.
11. Whether any alteration/addition /modification has been carried out with the previous approval of the Excise Commissioner . If so, number & date of the order.	11. Whether any alteration/addition/modification has been carried out with the previous approval of the Excise Commissioner . If so, number & date of the order.
Place Name of applicant..... Date Signature of applicant	Place Name of applicant..... Date Name of applicant..... Date Signature of applicant

By order,
SENTHIL PANDIAN C.,
Excise Commissioner
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—24 असाधारण गज़ट—21-12-2021—402 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।